~~156~~ 157

न्यायालयश्री मान राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश सर्किट कोर्ट रीवा (म0प्र0)

(रिट उपलब्ध नहीं है, उपलब्ध होने पर करना क्रिया पश्चात)

Reg. - 4237-II/13

कृष्णदेव सिंह तनय आनंदबहादुरसिंह -- निगरानीकर्ता

बनाम

1- सुरेशप्रसाद गुप्ततनय हीरालाल गुप्तनिवासी मउवास एवं अन्य- 7

-- उत्तर वादीगण

आवेदन पत्र वास्ते प्रकरण को पुर्नस्थापित कियेजाने बावत्।

मान्यवर,

प्रार्थनापत्र के आधार निम्न है:-

(1) यह कि उक्त उन्मान का एक पुनरीक्षण याचिका दिनांक 12/6/2013 को माननीयन्यायालय के समक्ष दायर करने हेतु नियत था, जो अदमपैरवी में निरस्त कर दियागयाहै।

(2) यह कि आवेदक के अधिवक्ता सत्रन्यायालय मे अन्य प्रकरणों मे व्यस्त रहने के कारण माननीयन्यायालयके समक्ष प्रकरण की सुनवाई के समय पुकार होने पर उपस्थित नही हो सके और जब उपस्थित हुये तो पताचला कि आवेदक काप्रकरण अदम पैरवी मे निरस्त करदियागयाहै।

(3) यह कि आवेदक के अधिवक्ता अन्य प्रकरणों की पैरवी मे व्यस्तरहने के कारण माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित नही हो पाये थे। आवेदक की ओर से प्रकरण की पैरवी मे कोई लापरवाही नही की गयी है।

(4) यह कि प्रस्तुत आवेदन पत्र मे माननीय न्यायालय को सुनवाई का सक्षम क्षेत्राधिकार प्राप्त है तथा यह आवेदन पत्र माननीय न्यायालय केसमक्ष समय सीमा के अन्तर्गत प्रस्तुत कियाजारहाहै।

// प्रार्थना //

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

मामला क्र0–**Resto.4237–II/13** जिला–सीधी

कृष्णदेव सिंह/सुरेश प्रसाद गुप्ता

(1)	(2)	(3)
17.05.17	1. प्रकरण प्रस्तुत। 2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। 3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा–35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। 4. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। सदस्य	